भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

चलचित्र (प्रमाणन) नियम,1983

{24 मार्च,1992 को यथाविद्यमान}

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र प्रमाणन नियम,1983 है ।
(2) ये 1 जून,1983 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) अधिनियम से चलचित्र अधिनियम,1952 (1952 का 37) अभिप्रेत हैं ।
(ii) सलाहकार पैनेल से नियम 7 के अधीन गठित बोर्ड का सलाहकार पैनेल अभिप्रेत है ।
(iii) आवेदक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी फिल्म के धारा 4 के अधीन सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन करता है।
(iv) सहायक प्रादेशिक अधिकारी से नियम 9 के अधीन नियुक्त सहायक प्रादेशिक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष का सचिव भी है।
(v) बोर्ड से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड अभिप्रेत है
(vi) अध्यक्ष से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
(vii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी से नियम 9 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है।
(viii) परीक्षण अधिकारी से मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी या अपर प्रादेशिक अधिकारी या सहायक प्रादेशिक अधिकारी या अध्यक्ष का सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो नियम 22 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त परीक्षण समिति का सदस्य है ।
(ix) कथा फिल्म से 35 मि.मी. में या वीड़ियो टेप या अन्य गेजों में संहत वीड़ियो डिस्क पर वीड़ियो पर काल्पनिक कथा फिल्म अभिप्रेत है ।
(x) आयातित से भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है ।
(xi) दीर्घफिल्म ऐसी फिल्म है जो 35 मि.मी में 2000 मीटर लम्बाई से अधिक या अन्य गेजों में तत्समान लम्बाई की है या जो वीड़ियो पर है।
(xii) सदस्य से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है।
(xiii) प्रादेशिक अधिकारी से नियम 9 के अधीन नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उस नियम के अधीन नियुक्त कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर प्रादेशिक अधिकारी और सहायक प्रादेशिक अधिकारी या अन्य ऐसा अधिकारी भी है।
(xiv) अधिकरण का सचिव से सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन अपील अधिकरण के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।
(xv) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।
(xvi) लघु फिल्म से 35 मि.मी. में 2000 मीटर लम्बाई तक जिसमें 2000 मीटर भी सम्मिलित है, या अन्य गेजों में समतुलन लंबाई की है या वीडियो टेप या संहत डिस्क पर है ।

3. पदावधि – (1) बोर्ड का सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।
(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन चुने हुये अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है परंतु उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति के लंबित रहने तक केंद्रीय सरकार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।
(3) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अन्य सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

"3क. बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व – केन्द्रीय सरकार, बोर्ड में महिला सदसयों की नियुक्ति के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी, जो वह ठीक समझें, ताकि महिलाओं के लिए सम्यक प्रतिनिधित्व हो "।

(4) सेवानिवृत्त होनेवाला कोई सदस्य या ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गई, पुनर्नियुक्त का पात्र होगा ।

4. आकस्मिक रिक्ति – किसी सदसय के पदत्याग,मृत्यु,या हटाए जाने के कारण या अन्यथा बोर्ड में हुई आकस्मिक रिक्ति ऐसे अन्य सदस्य की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी जो नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन उपबंधित सदस्यता को पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

5. मुख्यालय – जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्स्था निर्दिष्ट न किया जाए, बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में होगा ।

6. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति – इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब,केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जो अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनःग्रहण नहीं कर लेता ।

7. सलाहकार पैनेलों का गठन –

(1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में एक सलाहकार पैनेल गठित करेगी

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित सलाहकार पैनेल में उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित करे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, किसी व्यक्ति को , जिसे वह ठीक समझती है, सलाहकार पैनेल का सदस्य नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, सलाहकार पैनेल के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक उतने सदस्यों की बाबत, जितने वह सरकार ठीक समझती है, ऐसे परामर्श से अभिमुक्ति दे सकेगी। परन्तु यह और कि सलाहकार पैनेल में महिलाओं का सम्यक प्रतिनिधित्व होगा ।

8. सलाहकार पैनेलों के सदस्यों की पदावधि – **(1)** सलाहकार पैनेल का सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगी ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा सदस्य दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

परंतु इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग के लिए ही ऐसी पद धारण करेगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था।

परंतु इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग के लिए ही ऐसी पद धारण करेगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था ।

(3) सेवा निवृत्त होने वाला सदस्य या ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) किसी सदस्य के पदत्याग,मृत्यु या हटाए जाने के कारण या अन्यथा सलाहकार पैनल में हुई कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्त करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार सलाहकार पैनेल के किसी भी सदस्य को,उसकी पदावधि समाप्त होने के पूर्व, पद से हटा सकेगी :

परंतु बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात सलाहकार पैनल पर नियुक्त किया गया सदस्य बोर्ड की सिफारिश पर ही या बोर्ड के परामर्श से ही इस प्रकार हटाया जाएगा अन्यथा नहीं ।

9. बोर्ड के अधिकारी – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में बोर्ड को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड के मुख्यालय में और प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी, अपर प्रादेशिक अधिकारी, सहायक प्रादेशिक अधिकारी और अन्य ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपनियम के अधीन अपने को प्रदत्त नियुक्ति की शक्ति, जो प्रादेशिक अधिकारी और अपर प्रादेशिक अधिकारी के पदों के संबंध में नियुक्ति की शक्ति से

भिन्न है, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परंतु यह और कि अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस उपनियम के अधीन अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी को छुट्टी मंजूर कर सकेगा या उसे सेवा से निलंबित कर सकेगा या सेवा से हटा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त प्रादेशिक अधिकारी, अपर प्रादेशिक अधिकारी ,सहायक प्रादेशिक अधिकारी और अन्य अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें इन नियमों का पालन करेंगे जो उन्हें इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी या बोर्ड द्वारा समनुदेशित किए जाए ।

10. बोर्ड के कर्तव्य – बोर्ड इन नियमों के अधीन विहित अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्तः–
(1) केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्य का पुनर्विलोकन होगा और रिपोर्ट में फिल्म उद्योग के रूखों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा ;
(2) वह रीति विहित करेगा जिसमें बोर्ड के रजिस्टर, अभिलेख और लेखे रखे जाएंगे ;और
(3) प्रादेशिक अधिकारियों और सलाहकार पैनेलों के सदस्यों के कार्य का पुनर्विलोकन करेगा।

11. फिल्मों के प्रति लोक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण :– फिल्मों का प्रमाणन करने में पालन किए जाने वाले सिद्वान्तों का अवधारण करने की दृष्टि से, बोर्ड ऐसे कदम उठा सकेगा जिन्हें वह फिल्मों के प्रति लोक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करने केलिए ठीक समझे और इस प्रयोजन के लिए फिल्म आलोचकों, फिल्म लेखकों, समुदाय नेताओं और फिल्म उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों में परिसंवादों या संगोष्ठियों का आयोजन करेगा तथा लोक मस्तिष्क पर विभिन्न प्रकार की फिल्मों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्थानीय या राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी करेगा ।

12. बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा के (वेतन और भत्तों से भिन्न) निबंधन और शर्तो तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों की संदेय भत्ते –
(1) अध्यक्ष, यदि वह पूर्णकालिक वेतन दिया जाने वाला अधिकारी है तो, ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जो मूल और अनुपूरक नियमों के अधीन अनुज्ञेय है । वह छुट्टि और छुट्टि वेतन तथा ऐसे अन्य फायदों का भी हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जो संविदा पर नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू है ।

परंतु अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल या साधारण केन्द्रीय सेवा या राज्य सेवा के किसी अधिकारी की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की दशा में, वह जब तक उस सेवा में बना रहता है तब तक ऐसी सेवा के अधिकारियों की अनुज्ञेय छुट्टि और छुट्टि वेतन तथा अन्य फायदों का हकदार होगा।

परंतु यह और कि यदि कोई अधिकारी, जो पहले से ही सरकार के अधीन संविदा पर, अभिदायी भविष्य निधि के फायदों सहित, पद धारण कर रहा है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसे इस बात की अनुज्ञा होगी कि वह पूर्वतन सेवा के दौरान उसके द्वारा उपार्जित छुट्टि का अनुप्रयुक्त भाग अग्रणीत कर ले और वह अभिदायी भविष्य निधि के फायदों का पात्र भी बना रहेगा ।

(2) प्रत्येक अवैतनिक सदस्य जिसके अन्तर्गत वह अध्यक्ष भी है जो वेतन प्राप्त नहीं करता है ।
(क) यदि वह नगर बाह्य सदस्य है तो –

(1) वह वायुयान या रेल द्वारा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा की जानेवाली यात्राओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय हो, यात्रा कर सकेगा

(2) उसे फिल्म के पूर्वदर्शन या पुनरीक्षण समिति या बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे पूर्वदर्शन या अधिवेशन के प्रत्येक दिन के लिए 75 रू. प्रतिदिन की दर से परामर्श शुल्क का संदाय किया जा सकेगा

(3) उसे अधिवेशन के पूर्ववर्ती दिन और उत्तरवर्ती दिन के लिए 50 रू. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा बशर्ते कि सदस्य अधिवेशन के स्थान पर वास्तव में ठहरा हो

(ख) यदि वह स्थानीय सदस्य है तो उसे फिल्म के पूर्वदर्शन या पुनरीक्षण समिति या बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे पूर्वदर्शन या अधिवेशन के लिए 50 रूपए प्रतिदिन की दर से परामर्श शुल्क का संदाय किया जा सकेगा

परंतु जिस दिन या जिन दिनों के लिए परामर्श शुल्क का संदाय किया गया है उसके अतिरिक्त उस दिन या उन दिनों के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

13. सलाहकार पैनेल के सदस्यों को संदेय भत्ते –(1) सलाहकार पैनेल का प्रत्यंक सदस्य मुख्यालय से बाहर बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए या अधिनियम के अधीन विहित किन्हीं अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ऐसे भपमान के अनुसार लेने के हकदार होगा जो सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को लागू मूल और अनुपूरक नियमों के अधीन उपबंधित है ।

(2) सलाहकार पैनेल का प्रत्येक सदस्य किसी फिल्म के पूर्वदर्शन या समिति अथवा पैनेल के अधिवेशन में हाज़िर होने या काट–छांट की गई तथा प्रभावित रीलों का सत्यापन करने के लिए प्रतिदिन 50 रू की दर से परामर्श फीस प्राप्त करने का हकदार होगा

परंतु जिस दिन या जिन दिनों के लिए परामर्श फीस का संदाय किया गया है, उसके अतिरिक्त उस दिन यश उन दिनों के लिए उपर्युक्त (1) के अनुसार दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सलाहकार पैनेल का कोई सदस्य संसद सदस्य है तो वह ऐसे किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जो संसद (निरर्हता निवारण)अधिनियम 1959 (1959 का 10)की धारा 2 के खंड (क) में परिनिश्चत भत्तों से भिन्न है ।

14. बोर्ड के अधिवेशन – बोर्ड कारबार के संव्यवहार के लिए अपना अधिवेशन साधारणतया तीन मास में एक बार करेगा, किन्तु यदि अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह किसी समय असाधारण अधिवेशन बुल सकेगा। बोर्ड के अधिवेशन ऐसे स्थानों पर किए जाएंगे जो अध्यक्ष स्वविवेकानुसार उस प्रयोजन के लिए नियत करे।

15. सहयोजित सदस्य – अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, या किसी एक या अधिक प्रादेशिक अधिकारियों को या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को बोर्ड के किसी विशिष्ट अधिवेशन में हाज़िर होने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारी तब उस अधिवेशन में बोर्ड के विचार–विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किंतु वे मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

16. अधिवेशन की सूचना – (1) प्रत्येक को बोर्ड के सभी अधिवेशनों की कम से कम पूर्ण सात दिन की सूचना दी जाएगी किन्तु अर्जेंट अधिवेश्रन पूर्ण तीन दिन की सूचना देकर अध्यक्ष द्वारा बुलाया जा सकेगा ।

(2) सूचना में यह बताया जाएगा कि अधिवेशनों में क्या कारबार किया जाऐगा और बताए गए कारबार से भिन्न कोई भी कारबार उस अधिवेशन में, अध्यक्ष की सहमती से या उसके प्रस्ताव पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

17. अधिवेशनों में साधारणतया किया जानेवाला कारबार – बोर्ड का कारबार साधारणतया उस अधिवेशन में किया जाएगा जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से बुलाया गया है :

परंतु यदि अध्यक्ष ठीक समझता है तो वह कोई भी अर्जेट मामला सदस्य के बीच उन की राय के लिए परिचालित कर सकेगा ।

18. गणपूर्ति – बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में गणपूर्ति यदि अध्यक्ष उपस्थित हो तो चार सदस्य सेऔर यदि अध्यक्ष की अनुपस्थित हो तो छह् सदस्यों से होगी।

19. अधिवेशन का सभापति – बोर्ड के अधिवेशनों में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थित में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई सदस्य, सभापतित्व करेगा ।

20. प्रश्न का विनिश्च य मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा– बोर्ड के समक्ष हर प्रश्न का विनिश्चय मतों की बहुसंख्या से कि या जाएगा और मत बराबर होने की दिशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष का या नियम 19 के अधीन सभापतित्व करने के लिए निर्वाचित सदस्य का, द्वितीय या निर्णायकमत होगा ।

21. फिल्मों के परीक्षण के लिए आवेदन – **(1)** सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म प्रमाणित की जाने के लिए हर आवेदन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्म का भारत में निर्माण हुआ है या उसका भारत में आयात किया गया है, दूसरी अनुसूची में अधिकथित, यथास्थिति, प्रारूप(1)या प्रारूप (1)क या प्रारूप (2) या प्रारूप (2)क में लिखित रूप में किया जाएगा।

(2) आवेदन बोर्ड को संबोधित किया जाएगा और पहली अनुसूची के अनुसार संबंद्ध प्रादेशिक अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा :

परन्तु जहॉ फिल्मों का भारत में आयात किया जाता है, वहॉ अध्यक्ष यह निदेश या अनुज्ञा दे सकेगा कि उनकी बाबत आवेदन ऐसे प्रादेशिक अधिकारी को परिदत्त किए जाएं जो उस प्रादेशिक अधिकारी से भिन्न है जिसे ऐसे आवेदन इस परन्तुक के न होने पर परिदत्त किए जाते :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष निम्नलिखित परिस्थिति यों में यह निदेश या अनुज्ञा दे सकेगा कि किन्ही फिल्मों में किसी वर्ग की फिल्मों कि बाबत आवेदन ऐसे प्रादेशिक अधिकारी को परिदत्त किए जाए जो उस प्रादेशिक अधिकारी से भिन्न है जिसे ऐसे आवेदन इस परन्तुक के न होने पर परिदत्त किए जाते है, अर्थात –(1) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी फिल्म के परीक्षण के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है या

(2) जहां किसी फिल्म का परीक्षण ऐसे व्यक्तियों की सहायता से,जो उस फिल्म की भाषा से भली प्रकार परिचित हो, उस स्थान में संभव नहीं है, जहां इस परन्तुक के उपबन्धों के न होने पर वह परीक्षण के लिए परिदत्त की जाती ; या

(3) ऐसे अन्य कारणों से जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) हर ऐसे आवेदन के साथ –

(क) नियम 36 के अधीन विहित फीस दी जाएगी,

(ख) फिल्म के कथासार की कथा फिल्म की दशा में आठ प्रतियां और अन्य फिल्मों की दशा में पांच प्रति यां पूर्ण नामोल्लेखों और गीतों के यदि कोई हो, पूर्ण पाठ, रील संख्या, यथाविहित पूर्ण शूटिंग लिपि की एक प्रति और एक विवरण जिसमें प्रत्येक रील के अनुसार फिल्म की लम्बाई दर्शित होगी,दी जाएगी

परन्तु जहां कि फिल्म अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा से भिन्न भाषा में है,वहां आवेदन कथासार की और यदि कोई गीत है तो उसके पूर्ण पाठ के अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद की ठीक आठ टंकित या मुद्रित प्रतियां और संवाद के अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की एक प्रति भेजेगा :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट फिल्म की दशा में, प्रादेशिक अधिकारी आवेदक को यह निदेश दे सकेगा कि वह संवाद, भाषण या टीका के पूर्ण पाठ के अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद की आठ टंकित या मुद्रित प्रतियां भी भेजें

(ख ख) फिल्म के निर्माता द्वारा लिखित में एक घोषणा की जाएगी जिसमें यह घोषित कि या जाएगा कि भारत में निर्मित फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रयोग किए गए पशुओं के साथ क्रूरता नहीं की गई थी

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए –

(1) पशु का अर्थ वही होगा, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59)की धारा के खंड क में उसके लिए समुदेशित है :

(2) क्रूरता से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59 की धारा 11) की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ण) में विनिर्दिष्ट किसी रीति में पशुओं के साथ व्यवहार अभिप्रेत है ।

(ग) यदि आवेदन नियम 29 की उपधारा (2) के अधीन नए प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए जाता है तो, मूल प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति भेजी जाएगी और

(घ) यदि आवेदन फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्याधिकार धारक के भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कि या जाता है तो समुचित मूल्य के स्टाम्पित कागज़ पर फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्याधिकार धारक के लिखित प्राधिकरण को अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(4) यदि किसी समाचार फिल्म, वृत्त चित्र या अन्य लधु फिल्म की दशा में प्रादेशिक अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण के बाहर है, उपनियम (3)में विनिर्दिष्ट दस्तावेत आवेदन के साथ देने में समर्थ नहीं है तो प्रादेशिक अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि वे दस्तावेज फिल्म के परीक्षण के पश्चात ऐसी अवधि के भीतर दिए जाए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, या यह कि ऐसे दस्तावेज को पेश करने से अभिमुक्ति दी जा सकेगी ।

(5) ऐसे आवेदन के साथ ऐसे कोई दस्तावेज नहीं होगे जो उपनियम 3 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न है ।

(6) पूर्वगामी उपनि यमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी फिल्म की दशा में जो आयात की जाती है,–

(क) आवेदक सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञापत्र तथा सीमाशुल्क निकासी कागज़पत्रों के साथ मूल आ यात अनुज्ञप्ति या उसकी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा

(ख) जहां खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों की विधिमान्यता या विशुद्धता के बारे में संदेह या विवाद है, वहां बोर्ड आवेदन पर विचार करने से पूर्व , ऐसे दस्तावेजों की विधिमान्यता या विशुद्धता अभिनिश्चित करने के लिए उन्हें उस प्रधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जिसने उन्हें जारी कि या था

(ग) बोर्ड ऐसे किसी मामले में, जहां खंड ख में निर्दिष्ट दस्तावेजों की विधिमान्यता से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय या किसी लोक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, किसी फिल्म के प्रमाणन के लिए तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा जब तक कि वह न्यायालय या प्राधिकारी उस मामले का निपटारा नहीं कर देता है और

(घ) ऐसी फिल्म का भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणन के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षण तब तक नहीं कि या जाएगा जब तक कि बोर्ड का यह समाधान नहीं हो जाता है कि फिल्म का सरकार की आयात नीति के अनुसार विधिमान्य रूप से आयात किया गया है ।

स्पष्टीकरण – सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणन के प्रयोजन के लिए फिल्म के प्रत्येक पुनरीक्षण या लघुतर पाठ को नई फिल्म समझा जाएगा ।

22. परीक्षण समिति – 1. नियम 21 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रादेशिक अधिकारी फिल्म का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण समिति नियुक्त करेगा । परीक्षण ऐसी तारीख को, ऐसे स्थान पर तथा ऐसे समय पर, जिसे प्रदेशिक अधिकारी अवधारित करें, आवेदक के व्यय पर किया जाएगा ।

2. परीक्षण समिति में –

(क) लघु फिल्म की दशा में, सलाहकार पैनेल का एक सदस्य और एक परीक्षण समिति होगा और जिन दोनों में से एक महिला होगी ।

(ख) दीर्घ फिल्म की दशा में, सलाहकार पैनेल के चार सदस्य और एक परीक्षण अधिकारी होंगे जिन में से दो महिलाएं होंगी ।

परन्तु यदि परीक्षण अधिकारी किसी फिल्म के परीक्षण में अपरिहार्यतः अनुपस्थित है तो खंड (क) के अन्तर्गत आनेवाले मामले में सलाहकार पैनेल के दो सदस्य और खंड ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में सलाहकार पैनेल के पांच सदस्य परीक्षण समिति में होंगे।

परंतु यह और कि परीक्षण समिति में खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में एक महिला सदस्य होगी और खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में दो महिला सदस्य होगी ।

3. परीक्षण समिति द्वारा जिस फिल्म का परीक्षण किया जाना है वह अपने अंतिम रूप में होगी और उस फिल्म में पार्श्व संगीत तथा सभी ध्वनि प्रभाव सम्यक रूप से रिकार्ड किए गए होंगे ।

4. प्रमाणन के लिए परीक्षण के प्रयोजन के लिए फिल्मों के सभी पूर्वदर्शन और उनसे संबंधित रिपोर्ट तथा अभिलेख गोपनीय माने जायेंगे ।

5. फिल्म परीक्षण करने वाली परीक्षण समिति के सदस्यों के नाम ऐसे किसी शासकीय या अशासकीय व्यक्ति को जो किसी विशिष्ट फिल्म के पूर्वदर्शन से सम्बन्ध नहीं है या किसी अन्य व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत आवेदक या उसका प्रतिनिधि भी है,प्रकट नहीं किए जाऐंगे । नियम 22 (5) (क) में उपनियम (4) और उपनियम (5) की कोई भी बात बोर्ड द्वारा अनुदत्त प्रमाणपत्र में व्यक्तियों के नाम प्रकट नहीं किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी ।

6. आवेदक या उसके प्रतिनिधि को पूर्वदर्शन नाट्यशाला के भीतर उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

7. उपनियम (4) उपनियम (5) और उपनियम (6) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष विशेष या साधारण आदेश द्वारा कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को ऐसी कोई सहायता, देने के लिए,जिसकी अपेक्षा की जाए,पूर्वदर्शन में उपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

8. परीक्षण समिति धारा (5) (ख) (1) में विनिर्दिष्ट फिल्मों का प्रमाणन करते समय निदेशक सिद्धान्तों और सरकार द्वारा धारा 5) ख) 2) के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए फिल्मों का परीक्षण करेगी ।

9.परीक्षण में हाज़िर परीक्षण समिति का प्रत्येक सदस्य फिल्म के परीक्षण के तुरंत पश्चात् पूर्वदर्शन नाट्यशाला से जाने से पूर्व दूसरी अनुसूची में अधिकथित प्ररूप 8 में अपनी रा य अभिलिखित करेगा और स्पष्ट शब्दों में उसके लिए कारण बताएगा और यह कथित करेगा कि क्या वह यह समझता है कि :–

(क) फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उप युक्त अर्थात निर्बन्धित प्रमाण पत्र के लिए ठीक है या

(ख) फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है किन्तु इस चेतावनी के पृष्ठांकन के साथ कि 12 वर्ष से कम आ यु के बालक को फिल्म देखने के लिए अनुज्ञात कि या जाए या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक का माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए, अर्थात अनिर्बन्धित वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या

(ग) फिल्म केवल वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है , या

(घ) फिल्म को किसी वृत्ति के सदस्यों या फिल्म की प्रकृति अन्तर्वस्तु और विषय से संबंध व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त अर्थात विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या

(ड) यदि फिल्म में से किसी विनिर्दिष्ट भाग की काट–छांट कर दी जाए या उसे उपांन्तरित कर दिया जाए तो फिल्म यथास्थिति अनिर्बन्धित या निर्बन्धित , वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए उप युक्त है या

(च) फिल्म अनिर्बन्धित या निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है , अर्थात् फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जाएगा ।

और यदि अध्यक्ष उस प्रादेशिक केन्द्र पर जहां फिल्म का परीक्षण किया गया है ,उपस्थित नहीं है सो पूर्वोक्त प्ररूप दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा ।

10. परीक्षण अधिकारी कथासार की नामोल्लेखों और गीतों सहित प्रति यां,समिति के सदस्यों में वितरित करेगा और उन्हें उपनी सिफारिश करने के लिए प्ररूप और ऐसी अन्य दस्तावेज देगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

11. फिल्म स्क्रीन किए जाने के पश्चात परीक्षण अधिकारी यह देखेगा कि :

(क)समिति के प्रत्येक सदस्य की सिफारिश असंदिग्ध शब्दों में अभिलिखित की गई है और प्रत्येक काट–छांट या उपान्तर उसके लिए कारण या कारणों सहित, स्पष्ट शब्दों में उचित रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) उस पर समिति के सदस- यों ने सम्यकत हस्ताक्षर किए है और

(ग)जहां समिति के किसी सदस्य की रिपोर्ट अपूर्ण हो, वहां वह तथ्य सम्बन्ध सदस्य के ध्यान में उसके पूर्वदर्शन नाट्यशाला से जाने से पूर्व लाया जाता है ।

12. परीक्षण अधिकारी, तीन कार्यदिवस के भीतर परीक्षण समिति के सभी सदस्यों की सिफारिश अध्यक्ष को भेजेगा और यदि अध्यक्ष उस केन्द्र पर जहां फिल्म का परीक्षण किया गया है, उपस्थित नहीं तो उन्हें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा ।

13. परीक्षण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह परीक्षण करें कि सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धान्त का पालन हुआ है या नहीं और प्रत्येक गलती या विचलन की सूचना अध्यक्ष को दें ।

14. दीर्घ फिल्म के लिए परीक्षण समिति की गणपूर्ति चार से होगी ।

23. प्रमाणन – नियम 22 के उपनियम (12) में निर्दिष्ट अभिलेख की प्राप्ति पर अध्यक्ष, यदि नियम 24 के उपनियम (1) के उपबंध लागू नही होते है तो संबद्ध प्रादेशिक अधिकारी को यह निर्देश देगा कि यह परीक्षण समिति के सदस्यों के सर्वसम्मत या उनकी बहुसंख्या की सिफारिशों के अनु रूप बोर्ड की और से आगे कार्रवाई करें : परन्तु लघु फिल्म की दशा में जब समिति अपनी राय में बटी हुई है तब अध्यक्ष या तो स्वयं फिल्म का परीक्षण करेगा और अपने विनिश्चय को प्रभाव देने के लिए बोर्ड की और से आगे कार्रवाई करेगा या सम्बद्ध प्रादेशिक अधिकारी को वैसे करने के लिए निदेश देगा ।

24. पुनरीक्षण समिति – (1) नियम 32 में निर्दिष्ट अभिलेख की प्राप्ति पर अध्यक्ष स्व–प्रेरणा से या आवेदक के अनुरोध पर उसे इस प्रयोजन के लिए गठित एक पुनरीक्षण समिति को निर्देशित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (5) के अधीन रहते हुए पुनरीक्षण समिति, अध्यक्ष और नौ से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जो बोर्ड के सदस्य या किसी सलाहकार पैनेल के सदस्य होंगे तथा जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ,अध्यक्ष, इतनी संख्या में, जितनी वह उपयुक्त समझें, महिला सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करके,समिति में महिलाओं को सम्यक प्रतिनिधित्व देगा ।

3. पुनरीक्षण समिति के हर अधिवेशन में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित बोर्ड का कोई सदस्य उसका सभापतित्व करेगा ।
4. उस केन्द्र का प्रादेशिक अधिकारी, जहां आवेदन नियम 21 के अधीन प्राप्त हुआ था, पुनरीक्षण समिति के किसी अधिवेशन में हाज़िर होने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कि या जा सकेगा,किंतु उसे उसमें मत देने का कोई अधिकारी नहीं होगा ।
5. सलाहकार पैनेल का ऐसा कोई सदस्य,जो किसी फिल्म के लिए परीक्षण समिति का सदस्य रहा है, उसी फिल्म की बाबत पुनरीक्षण समिति का सदस्य नहीं होगा ।

6. नियम 22 के उपनियम 4) से 8) के उपबंध पुनरीक्षण समिति या बोर्ड द्वारा फिल्मों के परीक्षण को, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

7. पुनरीक्षण समिति फिल्म का परीक्षण आवेदक के व्यय पर ऐसी तारीख को ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर,जो अध्यक्ष अवधारित करे,करेगी ।

8. पुनरीक्षण समिति द्वारा परीक्षण के प्रयोजन के लिए –
(क) आवेदक फिल्म का वही स्पष्ट चलाने योग्य प्रिन्ट प्रस्तुत करेगा जो परीक्षण समिति को दिखाया गया था और वह उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा तथा उस निमित्त लिखित आवश्यक घोषणा भी देगा
(ख) आवेदक से पूर्ण नामोल्लेखों और गीतों के यदि कोई हो, पूर्ण पाठ तथा रील संख्या सहित फिल्म के पूर्ण कथासार की पंद्रह टंकित या मुद्रित प्रतियां देने की अपेक्षा की जाएगी तथा जहां उसने धारा (4) की उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन कि या है वहां उसकी भी पंद्रह प्रतियां दी जाएगी ।

परंतु जहां फिल्म अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा से भिन्न किसी भाषा में है वहां आवेदक नामोल्लेखों तथा गीतों के, यदि कोई हो, पूर्ण पाठ सहित कथासार के अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की पंद्रह टंकित या मुद्रित प्रतियां देगा ।

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट फिल्म की दशा में, अध्यक्ष आवेदक को यह निर्देश दे सकेगा कि वह संवाद, भाषणों या टीका के पूर्ण पाठ के अंग्रेजी या हिन्दी अनुवाद की पन्द्रह टंकित या मुद्रित प्रतियां भी दें ।

परंतु यह और भी कि जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसे कारणों से, जो उसके अपने नियंत्रण से बाहर है, उस नियम में विनिर्दिष्ट दस्तावेज देने में समर्थ नहीं है, वहां अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि उन दस्तावेजों के पेश करने सक अभिमुक्ति दी जाए ।

9. पुनरीक्षण समिति का सदस्य फिल्म के परीक्षण के तुरंत पश्चात पूर्वदर्शन थिएटर से जाने से पूर्व अपनी सिफारिश दूसरी अनुसूची में दिए गए प्ररूप 8 में अभिलिखित करेगा तथा उसके लिए स्पष्ट कारण बताएगा और यह कथन करेगा कि क्या वह समझता है कि –
(क) फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है अर्थात अनिर्बन्धित प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या
(ख)फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है किंतु इस चेतावनी के पृष्ठांकन के साथ कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फिल्म देखने के लिए अनुज्ञात किया जाय या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक के माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए, अर्थात अनिर्बन्धित वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या
(ग) फिल्म केवल वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या

(घ)फिल्म की प्रकृति,अन्तर्वस्तु और मूल–भाव को ध्यान में रखते हुए फिल्म किसी वृत्ति के सदस्यों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है अर्थात विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए ठीक है; या

(ड) यदि फिल्म में से किसी विनिर्दिष्ट भाग की कांट–छाट कर दी जाए, या उसे उपांतरित कर दिया जाए तो फिल्म यथास्थित अनिर्बन्धित या अनिर्बन्धित वयस्क या वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है ; या

(घ)फिल्म अनिर्बन्धित या निर्बन्धित प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया जाए। और यदि अध्यक्ष उप प्रादेशिक केन्द्र पर जहां फिल्म का परीक्षण किया गया है उपस्थित नहीं है तो पुर्वोक्त प्ररूप दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा ।

(10)पुनरीक्षण समिति का पीठासीन अधिकारी तीन दिन के भीतर पुनरीक्षण समिति के सभी सदस्यों की सिफारिशें अध्यक्ष को भेजेगा और यदि अध्यक्ष उस केन्द्र पर जहां फिल्म का परीक्षण किया गया है,उपस्थित नहीं है तो उन्हें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा ।

(11)पुनरीक्षण समिति की गणपूर्ती पांच से होगी ।

विद्यमान उपनियम 11 के 11 : परीक्षण समिति की गणपूर्ती पांच सदस्यों से होगी जिनमें कम से कम दो महिला सदस्य होंगी : परन्तु महिला सदस्यों की संख्या उपनियम 2 के अधीन गठित समिति के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं होगी ।

(12)पुनरीक्षण समिति का विनिश्चय फिल्म के परीक्षण में हाज़िर सदस्यों की बहुसंख्या का विनिश्च होगा और मत बराबर होने की दशा में पीठासीन अधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगाः

परंतु जहां अध्यक्ष समिति की बहुसंख्या के विनिश्चय से असहमत होता है वहां बोर्ड उस फिल्म का परीक्षण करेगा या दूसरी पुनरीक्षण समिति से पुनःपरीक्षण करवाएगा और यथास्थिति बोर्ड या दूसरी पुनरीक्षण समिति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

25. धारा 4 या धारा 5क के अधीन बोर्ड के आदेशों की प्राप्ति पर, प्रादेशिक अधिकारी आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जो मामले की परिस्थितियों में वह उपयुक्त समझें, उसकी संसूचना देगा और उक्त आदेशों के अनुसार ऐसे अन्य कदम उठायेगा जो वह आवश्यक समझें ।

26. फिल्म के भागों के हटाए जाने के अधीन रहते हुए प्रमाणपत्र का दिया जाना – 1 जहां आवेदक को प्रादेशिक अधिकारी द्वारा यह सूचित किया जाए कि किसी फिल्म के लिए यथास्थिति अनिर्बन्धित या अनिर्बन्धित वयस्क या वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग फिल्म में से हटा न दिया जाए, जहां प्रादेशिक अधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र दे सकेगा यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप में की गई घोषणा पर दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप 9 में उसका समाधान हो जाता है कि जिस भाग या जिन भागों पर आक्षेप किया गया है उन्हें फिल्म के नेगेटिव में से और उसकी सभी प्रतियांमें से, जो चाहे आवेदक के या उस प्रयोगशाला के, जहां वह प्रसंस्कृत की जा रही थी,, या वितरक के या प्रदर्शक के या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, कांट–छाट करके उस अभ्यर्पित कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण – अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि जिस भाग या जिन भागों पर आक्षेप किया गया है उन्हें फिल्म के नेगटिव और उसकी सभी प्रतियों में से काट–छांट दिया गया है –

(क) प्रादेशिक अधिकारी या अध्यक्ष ऐसे समय पर और स्थान में, जो वह अवधारित करें, आवेदक के व्यय पर फिल्म के नेगटिव या उसकी प्रतियों के सुसंगत भाग का परीक्षण कर सकेगा या सलाहकार पैनल के एक या अधिक सदस्यों द्वारा उसका या उनका परीक्षण कर सकेगा

(ख) प्रादेशिक अधिकारी आवेदक से उस प्रयोगशाला के, जिसमें फिल्म प्रसंस्कृत की गई थी,,स्वामी या प्रबन्धक से, बोर्ड द्वारा इस निमित्त यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में, प्रयोगशाला में बनी फिल्म की पोज़िटीव और नेगेटिव प्रतियों की संख्या के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की उपेक्षा कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र पर उस भाग या उन भागों के, जिन्हें हटाया जाना अपेक्षित है, विनिर्देश या और हटाए गए प्रत्येक भाग या भागों की ठीक–ठीक लम्बाई का

विवरण पृष्ठांकित किया जाएगा और दृश्यों और घटनाओं में कटौती की दशा में उसमें हटाए गए और प्रतिधारित भाग की लम्बाई लिखी जाएगी और प्रमाणपत्र के बाएं निचले कोने पर साफ–साफ दिखाई पडनेवाला एक त्रिभुज बना होगा ।

(3) जहां किसी फिल्म को इस नियम के अधीन प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया है कि उस फिल्म में से उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग हटा दिया जाय वहां कोई भी व्यक्ति, जो पूर्वोक्त प्रमाणपत्र की तारीख के पश्चात् उस फिल्म की प्रति का आयात करता है या अन्यथा उसे अर्जित करता है ऐसी किसी प्रति का वह भाग या वे भाग बोर्ड को अभ्यर्पित करेगा।

27. नियम (26) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार प्रादेशिक अधिकारी को अभ्यर्पित फिल्म और उसकी सभी प्रतियों के भाग बोर्ड के कार्यालय में छह मास की अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे और यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षित न हो तो अध्ययन और अनुसंधान के लिए भारत के फिल्म अभिलेखागार, पुणे के किसी प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे।

28. प्रमाणित फिल्म की एक प्रति का निक्षेप (1) कथा फिल्म की दशा में, पूर्वगामी नियमों के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र पर अध्यक्ष या प्रादेशिक अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात और आवेदक को प्रमाणपत्र परिदत्त किए जाने से पूर्व, फिल्म की एक प्रति किसी भी गेज में बोर्ड द्वारा प्रमाणित रूप में अभिलेख के प्रयोजन केलिए आवेदक द्वारा अपने व्यय पर, बोर्ड के पास निक्षिप्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण – फिल्म की वीडियो प्रति, इस उपनियम के प्रयोजन के लिए फिल्म की प्रति मानी जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निक्षिप्त प्रति में नेगेटिव पार्श्व संख्याएं (की संख्याएं) स्पष्टतया मुद्रित की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन निक्षिप्त प्रति, सिवाय तब जब वह वीडियो प्रति है, संबद्ध प्रादेशिक अधिकारी के विवेकानुसार फिल्म के प्रथम विमोचन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर आवेदक को लौटा दी जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन फिल्म की प्रति वापस किए जाने से पूर्व आवेदक बोर्ड को संवादों सहित फिल्म की पूर्ण शूटिंग लिपि परिदत्त करेगा :

परन्तु जहां फिल्म के प्रथम विमोचन से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात एक मास के भीतर यथापूर्वोक्त लिपि परिदत्त नहीं की जाती है वहां फिल्म भारत के राष्ट्री य अभिलेखागार, पूणे के रक्षक के पास भेजी जाएगी और आवेदक तत्पश्चात उसे पूर्वोक्त लिपि परिदत्त करने के पश्चात बोर्ड से विमोचन आदेश अभिप्राप्त करके ही अपने व्यय पर उसे लेगा।

(5) उपनियम (4) के परंतु के अधीन पूर्ण शूटिंग लिपि के बदले बोर्ड के पास निक्षिप्त फिल्म की प्रति की वापसी के लिए आवेदन फिल्म के प्रथम विमोचन की तारीख से दो वर्ष के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष, अपना यह समाधान हो जाने पर कि दो वर्ष की उक्त अवधि के भीतर आवेदन न देने के लिए पर्याप्त कारण है, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व आवेदन ग्रहण कर सकेगा।

(6) कथा फिल्मों से भिन्न फिल्मों अर्थात लघु फिल्मों,वृत्त चित्रों ,समाचार फिल्मोकं, विज्ञापन फिल्मों और ऐसी अन्य फिल्मों की दशा में पूर्वगामी नि यमों के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र पर प्रादेशिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात और आवेदक को प्रमाणपत्र परिदत्त किए जाने या भेजे जाने से पूर्व आवेदक बोर्ड के पास फिल्मों कि एक प्रति निक्षिप्त करेगा या ऐसे निक्षेप के बदले में, शूटिंग लिपि या शब्दशः टीका के टेप रिकार्ड की एक प्रति निक्षिप्त करेगा :

परन्तु ऐसी फिल्मों की दशा में, जहां अध्यक्ष की राय है कि आवेदक ऐसे धारणों से, जो उसके नियंत्रण से बाहर है, उस फिल्म या लिपि या शब्दशः टीका या उस टीका के टेप रिकार्ड की एक प्रति का निक्षेप प्रमाणपत्र परिदत्त किए जाने या भेजे जाने से पूर्व करने में असमर्थ है,वहां वह निदेश दे सकेगा कि प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा यह लिखित वचनबंध दिए जाने पर परिदत्त कर दिया जाए कि वह फिल्म या लिपि या शब्दशः टीका या टीका के टेप रिकार्ड की उक्त प्रति का निक्षेप साठ दिने से अनधिक उतने समय के भीतर कर देगा जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) बोर्ड के पास निक्षिप्त की गई फिल्मों या लिपियों या टीकाओं के टेप रिकार्डों की सभी प्रतियों के साथ दूसरी अनुसूची में दिए गए प्ररूप (10 में घोषणा होगी ।

29. प्रमाणपत्र की विधिमान्यता – (1) बोर्ड द्वारा किसी फिल्म की बाबत धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र उसके दिए जाने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

(2) जहां किसी फिल्म के प्रमाणपत्र के संबंध में अवधि समाप्त हो गई है, वहां इस निमित्त किए गए आवेदन पर दूसरी अनुसूची में दिए गए,यथास्थिति, प्ररूप 4, प्ररूप 4क, प्ररूप 5, प्ररूप5क, प्ररूप 6, प्ररूप 6क, प्ररूप 7, प्ररूप 7क में नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा और आवेदन पर ऐसे कार्यवाही की जाएगी मानो वह मूल आवेदन हो :

परन्तु कोई प्रादेशिक अधिकारी, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से यदि आवेदन उसी प्ररूप में प्रमाणपत्र के जारी करने के लिए है, जिसमें वह पहले जारी किया गया था, फिल्म के परीक्षण से अभिमुक्ति दे सकेगा।

(3) नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदक से फिल्म की शूटिंग लिपि या शब्दशः टीका या टेप रिकार्ड की गई प्रति निक्षिप्त करने की अपेक्षा केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी जब प्रारंभिक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय वह निक्षिप्त नहीं की गई थी ।

30. धारा 6क का अनुपालन – (1) धारा (6) क के प्रयोजन के लिए वितरक या प्रदर्शक को अधिसूचित करने की रीति यह होगी कि वितरक या प्रदर्शित की जाने वाली प्रमाणित फिल्म की प्रत्येक प्रति के साथ प्रमाणपत्र (जिसमें उसके दोनों भाग 1 और भाग 2 अन्तर्विष्ट हो) की दूारी प्रति परिदत्त की जाएगी :

परंतु वीडियो फिल्म की दशा में प्रमाणपत्र के भाग (1) की एक प्रति, जिसमें क्रमसंख्याक, प्रवर्ग या अन्य ब्यौरे दर्शित किए गए हो, प्रत्येक वीडियो कैसेट और उसके केस पर चिपकाई जानी चाहिए।

(2) उपनियम (1) के उपबंध किसी फिल्म की बाबत प्रमाणपत्र के संशोधन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रमाणपत्र के संबंध में लागू होते है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट फिल्म के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति फिल्म के साथ होगी और उन सभी दिनों में जिनमें वह फिल्म थिएटर में प्रदर्शित की जाती है, थिएटर में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी ।

31. धारा (6) के अधीन फिल्म का अप्रमाणन – जहां केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना द्वारा यह निदेश देती है कि प्रमाणित फिल्म संपूर्ण भारत में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी, वहां आवेदक और कोई अन्य व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन्हें फिल्म के अधिकार संक्रांत हुए है , फिल्म का प्रदर्शन तुरंत बंद कर देंगे और फिल्म की बाबत दिए गए प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति की सभी प्रतियां अधिसूचना की तारीख से एक मास के भीतर बोर्ड को अभ्यर्पित करेंगे:

परन्तु अध्यक्ष, आवेदक या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर एक्त अवधि को बढ़ा सकेगा और इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी ।

32. प्रमाणित फिल्मों का पुनः परीक्षण – (1) जहां ऐसी फिल्म की बाबत जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की जा चुकी है, बोर्ड को कोई शिकायत की जाती है, वहां वह केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, अध यक्ष को निदेश दे सकेगी कि वह किसी फिल्म का (जिसकी बाबत उसे सीधे या बोर्ड के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है) ऐसी रीति एऔर सहायता से, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की गई है, पुनः परीक्षण करें।

(3) अध्यक्ष पूर्वोक्त पुनः परीक्षण के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति से जिसने फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन किया है या जिसे फिल्म के स्वामित्व या वितरण के अधिकार संक्रांत हुए है, लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा का सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट प्रादेशिक अधिकारी को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पुनः परीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रमाणित फिल्म का प्रिन्ट अपने व्यय पर परिदत्त करे।

(4) ऐसे पुनःपरीक्षण का स्थान, तारीख और समय अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष अपनी राय उस फिल्म के प्रिंट के साथ, जिसके संबंध में पहले एक प्रमाणपत्र जारी किया गया था, केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा जो ऐसी जांच के पश्चात, जैसा वह ठीक समझती है, धारा 6 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कर सकेगी।

(6) इस नियम के उपबंध केवल उन्हीं मामलों में लागू होंगे जहां पुनरीक्षण शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 6 के अधीन प्रयोक्तव्य है ।

33. प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् फिल्म का परिवर्तन –

(1) जब किसी फिल्म को इन नियमों के अधीन उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् कांट–छाट, परिवर्द्धन,रंजन द्वारा या अन्यथा, परिवर्तित किया जाता है तब उसका प्रदर्शन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कांट–छाट, परिवर्द्धन, रंजन या अन्यथा परिवर्तन किए गए भाग या भागों की रिपोर्ट बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप 3 में नहीं कर दी जाती और बोर्ड उस परिवर्तन या उन परिवर्तनों की विशिष्टियों को प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित नहीं कर देता।
स्पष्टीकरण 1 – फिल्म को उठाने –धरने या प्रक्षेपित करने के प्रसामान्य क्रम में युक्तियुक्त टूट–फूट को इस उपनियम के अर्थ में फिल्म में परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 – किसी फिल्म में किसी परिवर्द्धन, विलोप या पार्श्व संगीत में प्रतिस्थापन या (जब तक कि अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन् यथा निदेश न दें) गेज में बदली मात्र को इस उपनियम के अर्थ में फिल्म का परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

(2) प्रादेशिक अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए एक परीक्षण समिति नियुक्त करेगा जो फिल्म की रील या रीलों का. जिनमें भाग परिवर्तित किए गए है, आवेदक के व्यय पर ऐसी रीति में और उस सहायता के साथ, जो वह ठीक समझें, परीक्षण करेगी और जहां परीक्षण समिति ऐसा करना आवश्यक समझें वहां वह संपूर्ण फिल्म का पुनःपरीक्षण करेगी :

परंतु जहां किसी फिल्म को काट–छांट द्वारा या रंगीन फिल्म को काली सफेद फिल्म में बदल कर ही परिवर्तित किया जाता है वहां जब तक कि किसी मामले में प्रादेशिक अधिकारी अन्यथा निदेश न दें, साधारणत या परीक्षण समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त की गई परीक्षण समिति में सलाहकार पैनल का एक सदस्य और एक परीक्षण अधिकारी होगा :

परंतु जहां परीक्षण अधिकारी किसी फिल्म या उसकी किसी रील के परीक्षण में अपरिहार्यतः अनुपस्थित हैं, वहां परीक्षण समिति सलाहकार पैनल के दो सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(4) इस नियम के अधीन परिवर्तित फिल्म का परीक्षण लंबित रहने तक आवेदक प्रस्थापित परिवर्तन को सम्मिलित करके उस फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेगा।

(5) जहां, यथास्थिति , फिल्म या उसके किसी भाग का पुनः परीक्षण इस नियम के अधीन कि या जाता है, वहां अध्यक्ष, यदि वह उसके लिए कारणों को अभिलिखित करके परिवर्तन के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करता है तो फिल्म के संअंध में दिए गए प्रमाणपत्र में उपयुक्त पृष्ठांकन करेगा।

34. धारा 6 के अधीन अधिसूचना के पश्चात बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र का संशोधन – जब अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जिसमें यह घोषित किया गया हो कि जिस फिल्म के लिए अनिर्बन्धित या अनिर्बन्धित वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र दिया गया हो, वह ऐसी फिल्म समझी जाएगी जिसके लिए वयस्क प्रमाणपत्र दिया गया है, तब, यथास्थिति, वह व्यक्ति जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है या वह व्यक्ति, जिसे फिल्म के अधिकार संक्रांत हुए है, आदेश जारी किए जाने की तारीख के एक मास के भीतर मूल प्रमाणपत्र और उसकी सभी दूसरी प्रतियां बोर्ड को नए प्रवर्ग का नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अभ्यर्पित करेगा।

35. प्रमाणपत्र :–(1) किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र इस बात का ध्यान में रखते हुए कि फिल्म, यथास्थिति अनिर्बन्धित या अनिर्बन्धित वयस्क या वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र या वी/अ या वी/व या वी/अव या वी/एस के लिए ठीक है, दूसरी अनुसूची में दिए गए प्ररूप 4, प्ररूप 4क, प्ररूप 5, प्ररूप 5 क, प्ररूप 6, प्ररूप 6क, प्ररूप 7 या प्ररूप 7क में होगा।

(2) प्रमाणपत्र पर बोर्ड के लिए और उसकी ओर से अध्यक्षा या अध्यक्षा के लिए प्रादेशिक अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

(3) बोर्ड का विहित चिन्ह प्रमाणपत्र के भाग 1 की एक फिल्म प्रति अर्थात एक ट्रेलर प्रमाणपत्र होगा, जो फिल्म के साथ लगाया जाएगा और सदैव उसके साथ प्रदर्शित किया जाएगा। वीड़ियो फिल्म की दशा में, ट्रेलर प्रमाणपत्र कम से कम पन्द्रह सेकिंड की अवधि के लिए होगा और अन्य फिल्मों की दशा में, ट्रेलर प्रमाणपत्र की लंबाई वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में अधिकथित है:–

36. फीस – (1) हर फिल्म के परीक्षण के लिए फीस निम्नलिखित सारणी में अधिकथित दरों पर प्रभावित की जाएगी और जहां फिल्म का परीक्षण किया जाना हो वहां बोर्ड के प्रादेशिक केन्द्र को या तो नकद संदत्त की जाएगी पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जाएगी।

फीसों की सारणी

भाग 1 – परीक्षण शुल्क

(i) सेलुलाइड फिल्म

लंबाई मीटर में	प्रमुखतः शैक्षणिक फिल्म	प्रमुखतः शैक्षणिक से भिन्न
1	**2**	**3**
300	200	1000
600	400	2000
900	600	3000
1200	800	4000
1500	1000	5000
1800	1200	6000
2100	1400	7000
2400	1600	8000
2700	1800	9000
3000	2000	10000
3300	2200	11000
3600	2400	12000

लंबाई मीटर में	प्रमुखतः शैक्षणिक फिल्म	प्रमुखतः शैक्षणिक से भिन्न
3900	2600	13000
4200	2800	14000
4500	3000	15000
4800	3200	16000
5100	3400	17000
5400	3600	18000
5700	3800	19000
6000	4000	20000

(ii) सेलुलाइड से भिन्न

मिनिट में लंबाई	प्रमुखतः शैक्षणिक फिल्म	प्रमुखतः शैक्षणिक से भिन्न
1	2	3
10	280	950
20	560	1850
30	600	3000
40	740	3700
50	920	4600
60	1100	5500
70	1280	6400
80	1480	7400
90	1660	8300
100	1840	9200
110	2020	10100
120	2200	11000
130	2400	12000
140	2560	12000
150	2740	13700
160	2940	14700
170	3120	15600
180	3300	16500
190	3500	17500
200	3660	18300

भाग 2 –उपर्युक्त भाग 1 में उल्लिखिम परीक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रभारी स्क्रीनिंग शुल्क निम्नलिखित हः–

(i) सेलुलाइड

लंबाई मीटरों में	**स्क्रीनिंग शुल्क**
300	100
600	200
900	300
1200	400
1500	500
1800	600
2100	700
2400	800
2700	900
3000 और अतिरिक्त	1000

(ii) सेलुलाइड से भिन्न

मिनिट में लंबाई	**स्क्रीनिंग शुल्क**
10	70
20	140
30	210
40	280
50	350
60	420
70	490
80	560
90	630
100	700
110	770
120	840
130	910
140	980
150	1050
160	1120
170	1190

180	1260
190	1330
200	1400

2 – नियम 33 के अधीन परिवर्तनों के प्रमाणित करने के लिए परीक्षण के लिए फीस

(1) नियम 33 के अधीन परिवर्तन के प्रमाणन करने के लिए फिल्म के परीक्षण के लिए फीस की संगणना ऐसी रील या रीलों या कैसेट या कैसेटों के प्रतिनिर्देश से की जाएगी जिसमें वह भाग या वे भाग आते है, जिसमें/जिनमें काट–छांट, परिवर्द्धन,रंजन किया गया है अन्यथा परिवर्तन किया गया है और इस प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त सारणी में मूल प्रमाणन के लिए विनिर्दिष्ट दरें लागू होंगी :

परंतु जहां परिवर्तन कांट–छाट करके लिया गया है, वहां प्रत्येक पृष्ठांकन के लिए 10 रू. की दर से फीस प्रभार्य होगी।

परन्तु यह और कि जहां परिवर्तन में, फिल्म की लंबाई में परिवर्तन या आवेदक अथवा निर्माता के नाम में परिवर्तन, रीलों की संख्या और ऐसे ही अन्य मामले अंतर्वलित है वाहं, प्रत्येक पृष्ठांकन के लिए 10 रू. की दर से फीस प्रभार्य होगी ।

(2) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए 10रू. की फीस का संदेय किया जाएगा।

(3) प्रमाणपत्र के लिए दिया गया आवेदन फिल्म के परीक्षण से पहले ही वापस ले लिए जाने की दशा में बोर्ड उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर फिल्म के परीक्षण के लिए संदत्त फीस की रकम से 25 प्रतिशत की कटौती करके शेष रकम का आवेदक का प्रतिदाय कर सकेगा।

(4) आवेदक द्वारा परीक्षण के लिए नियत दिन और समय और स्थान पर परीक्षण समिति या पुनरीक्षण समिति के समक्ष चलाने योग्य प्रिंट प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, फिल्म के परीक्षण के लिए अन्य स्थान, तारीख और समय नियत किए जाने से पूर्व इस सारणी के अधीन फिल्म के परीक्षण के लिए संदेय फीस के 25 प्रतिशत का अतिरिक्त फीस के रूप में संदेय किया जाएगा।

(5) यदि गलती से, गलत संगणना या ऐसे ही अन्य कारण से आवेदक किसी फिल्म के परीक्षण के लिए इन नियमों के अधीन संदेय फीस की रकम से अधिक रकम का संदाय कर देता है तो बोर्ड इस निमित्त आवेदन किए जाने पर फिल्म के प्रमाणन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस प्रकार अधिक संदत्त रकम का आवेदक को प्रतिदाय कर सकेगा।

(6) वह व्यक्ति जो बोर्ड को फिल्म के प्रमाणन या फिल्म की बाबत किसी अन्य विशिष्टि से संबंधित सूचना के लिए आवेदन करता है, आवेदन के साथ फिल्म के प्रत्येक शीर्षक के लिए 5 रू. की तलाशी फीस का संदेय करेगा।

37. प्रवेश की शक्ति – अध्यक्ष या बोर्ड या सलाहकार पैनल का कोई सदस्य या बोर्ड का प्रादेशिक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या बोर्ड के कर्मचारीवृन्द का कोई सदस्य या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्रधिकृत किया गया है या अपील अधिकरण का सदस्य या कोई अधिकारी या कर्मचारिवृन्द का सदस्य या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्रधिकृत किया गया है, सिनेमा संबंधि किसी प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञप्त किसी स्थान में अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रवेश कर सकेगा और तदुपरी ऐसे स्थान का स्वामी या प्रबन्धक फिल्म देखने के लिए उसके लिए उच्चतम वर्ग या उससे ठीक नीचे के वर्ग में एक स्थान की प्रवेश शुल्क और मनोरंजन कर लिए बिना व्यवस्था करेगा।

38.फिल्मों का विज्ञापन – कोई व्यक्ति जो अनिर्बन्धित वयस्क वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र दी गई फिल्म का या ऐसी फिल्म के प्रदर्शन का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर या विज्ञापन पट्टों, पोस्टरों, परचों या ट्रेलरों द्वारा विज्ञापन करता है, उसके प्रमाणन की तारीख के पश्चात समाचार पत्रों में उन विज्ञापनों, विज्ञापन पट्टों, पोस्टरों, परचों या ट्रेलरों में यह उपदर्शित करेगा कि फिल्म ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की गई है, ऐसे विज्ञापनों में केवल फिल्म का प्रमाणित शीर्षक ही उपदर्शित किया जाएगा।

39. रजिस्टर का रखा जाना –(1) बोर्ड एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित प्रविष्टियां जाएगी :–

(क) ऐसी हर फिल्म का नाम जिसका अधिनियम के अधीन परीक्षण किया गया है

(ख) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम

(ग) फिल्म का निर्माण करने या उसका विमोचन करने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम

(घ) उस देश का नाम जिसमें फिल्म का मूलतः निर्माण किया गया था

(ड़) उस स्थान का नाम जहां फिल्म का परीक्षण किया गया था

(च) परीक्षण की तारीख

(छ) उन व्यक्ति यों का नाम, जिन्होंने फिल्म का परीक्षण किया था

(ज) परीक्षण का और उस पर आगे की किन्हीं कार्यवाहियों का परिणाम

(झ) जारी किए गए प्रमाणपत्र का, यदि कोई है, संख्यांक और तारीख, ऐसे पृष्ठांकन की एक प्रति सहित जो उस पर किया गया है।

(2) बोर्ड को ऐसा रजिस्टर रखने के लिए समर्थ बनाने के लिए संबद्ध प्रादेशिक अधिकारियों में से प्रत्येक, उनको दिए गए प्रमाणन संबंधि आवेदनों की बाबत उसी प्रकार के रजिस्टर रखेगा और उस में की गई हर प्रविष्टि की दूसरी प्रविष्टि की जाने के पश्चात यथाशक्य बोर्ड को भेजेगा।

(3) बोर्ड द्वारा रखे गए रजिस्टर में किसी मास के दौरान की गई प्रविष्टियों की एक प्रति सभी प्रादेशिक अधिकारियों को उसके ठीक अगले मास के दौरान भेजी जाएगी।

40. कतिपय फिल्मों का अप्रमाणित फिल्में बना रहना –

यदि किसी राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी, 1951 से पूर्व जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा कोई फिल्म संबंधित राज्य के किसी भाग या किन्हीं भागों में अप्रमाणित फिल्म घोषित की गई है और यदि उस अधिसूचना का प्रवर्तन चलचित्र (सेंसर) नियम, 1951 के नियम 35 के उपनियम (2) के परंतुक के कारण समाप्त नहीं हुआ है तो वह फिल्म तब तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जाएगी जब तक कि वह इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं कर दी जाती है :

परंतु किसी ऐसी फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने से पूर्व बोर्ड, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

41. फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में समय सीमा – (1) फिल्म के प्रमाणन के लिए नियम 21 के अधीन, सभी रूप से पूर्ण (फीस के संदेय के प्रमाण सहित, कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् बोर्ड उसकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर, आवेदन की संवीक्षा करेगा।

(2) आवेदक से यह प्रज्ञापना प्राप्त होने पर कि परीक्षण के लिए फिल्म का चलाने योग्य स्पष्ट प्रिन्ट उपलब्ध है, बोर्ड उससे पन्द्रह दिन के भीतर फिल्म को, परीक्षण के लिए एक परीक्षण समिति को निर्दिष्ट करेगा।

(3) फिल्में, परीक्षण समिति करे उसी क्रम से निर्दिष्ट की जाएगी जिसमें आवेदन प्राप्त किए जाते है :

परंतु प्रादेशिक अधिकारी किसी आवेदक से लिखित अनुरोध प्राप्त करने पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि शीघ्र परीक्षण किए जाने के लिए आधार है उस के लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके फिल्म के परीक्षण का क्रम परिवर्तित कर सकेगा।

(4)(क) उन मामलों में जहां परीक्षण समिति फिल्म के परीक्षण के पश्चात् यह समझती है कि शूटिंग लिपि की संवीक्षा आवश्यक है या किसी ऐतिहासिक, देवकथा संबंधि, जीवन चरित्र संबंधि या पौराणिक प्रकृति की फिल्म में विभिन्न घटनाओं की अधिप्रमाणिकता सत्यापित की जानी है वहां ऐसे परीक्षण के पश्चात् प्रादेशिक अधिकारी द्वारा इस प्रभाव की एक अनन्तिम रिपोर्ट अधिक से अधिक तीन कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अनन्तिम रिपोर्ट पर अध्यक्ष के आदेशों की प्राप्ति के पश्चात् अधिक से अधिक तीन कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को एक लिखित संसूचना भेजी जाएगी और आवेदक ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख सक दस दिन के भीतर लिपि या वे प्रामाणिक स्त्रोत, जिन पर उसकी फिल्म का विषय आधारित है, प्रस्तुत करेगा।

(ग) उन मामलों में, जहां फिल्म का परीक्षण करने के पश्चात् परीक्षण समिति के सदस्य, अध्यक्ष को एक अनन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते है, जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि फिल्म में दर्शित विषयों, जैसे कि रक्षा या विदेश संबंधों या किसी विशिष्ट धर्म या विधि या औषध के विषयों, या किसी अन्य विषय पर,अन्तिम रिपोर्ट दिए जाने से पूर्व विशेषज्ञ की राय मांगी जानी चाहिए वहां अध्यक्ष, मामले की परिस्थिति यों पर विचार करने के पश्चात्, विशेषज्ञ की राय अभिप्राप्त करने और तत्पश्चात् परीक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) अन्य मामलों में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई लिपि या उसके द्वारा दिए गए प्रमाणिक स्त्रोतों की, परीक्षण अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी तथा परीक्षण समिति की अंतिम रिपोर्ट, परीक्षण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति , लिपि या प्रामाणिक स्त्रोतों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर अध्यक्ष को अग्रेषित कर दी जाएगी ।

(5) (क) परीक्षण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड के आदेशों की प्राप्ति पर, उन मामलों में जहां धारा 4 की उपधारा (2) लागू होती है, आवेदक को संसूचना तीन दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(ख) आवेदक अपना उत्तर संसूचना की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(6) उन मामलों में, जहां फिल्म पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट नहीं की जाती है, प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

(7) (क) उन मामलों में, जहां कोई फिल्म पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट की जानी है वहां, पुनरीक्षण समिति, आवेदक से आवश यक दस्तावेज प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर गठित की जाएगी।

(ख) उपनियम (3) से उपनियम (6) के उपबंध पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्म के परीक्षण को, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(ग) जब कोई फिल्म किसी अन्य पुनरीक्षण समिति को या बोर्ड को नियम 24 के उपनियम (12) के परंतुक के निबंधनों के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है, तब समय सीमा इस उपनियम के (क) और (ख) के अनुसार और बढ़ा दी जाएगी।

(8) आवेदक, धारा 4 के अधीन बोर्ड के अन्तिम आदेशों की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर कांट–छाट, यदि कोई हो, और प्रभावित रीलों सहित उनकी पूर्ण विशिष्टियां अभ्यर्पित करेगा :

परन्तु जहां आवेदक बोर्ड को यह आवेदन करता है कि वह बोर्ड के आदेशों के विरूद्ध अपील करना चाहता है, वहां बोर्ड, कांट–छाट के अभ्यर्पण के लिए उपर विनिर्दिष्ट अवधि को उतनी अवधि के लिए, जितनी वह उचित समझता है, बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी देश में, अपील के निपटारे की या उन मामलों में, जिनमें अपील फाइल नहीं की जाती है, वहां अपील फाइल करने की अवधि की समाप्ति की तारीख से चौदह दिन से अधिक के लिए नहीं बढ़ाएगा।

(9) प्रादेशिक अधिकारी काट–छाट और प्रभावित रीलों का परीक्षण उन्हें प्रस्तुत किए जाने के दस दिन के भीतर करेगा।

(10) यदि सुसंगत रीलों की संवीक्षा पर काट–छाट पर्याप्त पाई जाए और प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक विशिष्टियां पूर्णतया दी गई है तो इन नियमों के अधीन जैसा अपेक्षित है उसके अनुसार, यथास्थिति, फिल्म या लिपि की प्रति के निक्षेप किए जाने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा और जारी किया जाएगा।

(11) किन्तु यदि सुसंगत रीलों की संवीक्षा पर काट–छाट पर्याप्त नहीं पाई जाती है तो प्रादेशिक अधिकारी, फाईल पर वैसा अभिलिखित करेगा और आवेदक को दो दिन के भीतर बोर्ड के आदेशों का अनुपालन करने के लिए एक और संसूचना भेजेगा।

(12) आवेदक ऐसी संसूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन के भीतर की गई अतिरिक्त काट–छाट प्रादेशिक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(13) प्रादेशिक अधिकारी अतिरिक्त काट–छांट तथा रीलों को, उनके प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर सत्यापित करेगा और यदि काट–छांट पर्याप्त पाई जाती है तो एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(14) अध्यक्ष, उसके लिए जो कारण उन्हें लेखबद्ध करके, यदि उसका समाधान हो जाता है कि असम्यक् कष्ट से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो इस नियम द्वारा किसी कार्य के निष्पादन के लिए विहित समय सीमाओं को शिथित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधियों की संगणना करने के लिए केवल कार्य दिवसों की गणना की जाएगी और रविवार तथा अन्य छुट्टियों को छोड़ दिया जाएगा।

42. फिल्मों के प्रमाणन के अभिलेखों का परिरक्षण – (1) कथा/दीर्घ फिल्मों के प्रमाणन के अभिलेख बोर्ड द्वारा कम से कम बारह वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे।

(2) सभी लघु फिल्मों के प्रमाणन के अभिलेख बोर्ड द्वारा कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे :

परंतु लघु फिल्मों की दशा में, यदि बोर्ड द्वारा काट–छांट की गई हो या नियम 33 के अधीन उसमें परिवर्तन किए गए हो या यदि फिल्म के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हों तो फिल्म के प्रमाणन के अभिलेख कम से कम 12 वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे।

43. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें – (1) अपील अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण का अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है।

(3) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण का प्रत्येक अन्य सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(4) अपील अधिकरण का सेवानिवृत्त होने वाला अध्यक्ष या ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय व्यतीत हो जाने के कारण समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्त का पात्र होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपील अधिकरण का अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए तब तक के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी जब तक कि अध्यक्ष अपना कर्तव्य भार नहीं संभाल लेता है।

(6) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को , जिसे वह ठीक समझती है, अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, ऐसे परामर्श से अभिमुक्ति दे सकेगी।

(7) अपील अधिकरण की सदस्यता में किसी सदस्य के पदत्याग,मृत्यु या हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई आकस्मिक रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति तीन वर्ष से अनधित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(8) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के किसी सदस्य की उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटा सकेगी :

परंतु अपील अधिकरण के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् अपील अधिकरण में नियुक्त किए गए किसी सदस्य को अपील अधिकरण के अध्यक्ष की सिफारिया पर या उससे परामर्श करने के बाद ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(9) अपील अधिकरण को, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में समर्थ बनासने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण का एक सचिव और उतने अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक समझे जाएं :

परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तो और सीमाओं के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपील अधिकरण के अध्यक्ष को, अपील अधिकरण के सचिव के पद से संबंधित नियुक्ति की शक्तियों को छोड़कर, इस उपनियम के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परंतु यह और कि, अपील अधिकरण का अघ्यक्ष इस उपनियम के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को छुट्टि दे सकेगी, निलंबित कर सकेगा या सेवा से हटा सकेगा।

(10) उपनियम 9 के अधीन नियुक्त अधिकरण का सचिव और अन्य अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इन नियमों या अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(11) पूर्वगामी उपनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का अध्यक्ष, अधिकरण को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वभ्न करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ समूह

क पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियां कर सकेगा और उन पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को ऐसे कर्तव्य सौंपा सकेगा जैसे वह उचित समझें ।

(12) अपील अधिकरण का अध्यक्ष यदि वह वेतन पाने वाला पूर्णकालिक अधिकारी है तो वह ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है। वह उन सभी सुविधाओं और रियायतों का हकदार होगा जो कि किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय सुविधाओं और रियायतों से कम नहीं है :

परंतु उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियोजित किए जाने की दशा में, उसका वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन उच्च न्यायालयो के पुनर्नियोजित न्यायाधीशों को लागू है।

(13) प्रत्येक अवैतनिक सदस्य जिसके अन्तर्गत वह अध्यक्ष भी है जो वेतन प्राप्त नहीं करता है

(क) यदि वह नगर बाह्य सदस्य है,

(1) वायुयान या रेल द्वारा, जो ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके द्वारा की जाने वाली यात्राओं की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय हो, यात्रा कर सकेगा

(2) फिल्म के पूर्वदर्शन यर अपील अधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए उसे ऐसे पूर्वदर्शन या अधिवेशन के प्रत्येक दिन के लिए 100 रूपए प्रतिदिन की दर से परामर्श शुल्क संदाय किया जाएगा और ,

(3) अधिवेशन के पूर्ववर्ती दिन और उत्तरवर्ती दिन के लिए उसे 50 रू. प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का संदाय किया जाएगा, बशर्ते कि सदस्य अधिवेशन के स्थान पर वास्तव में ठहरा हो

(ख) यदि वह स्थानीय सदस्य है तो उसे फिल्म के पूर्वदर्शन या अपील अधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे पूर्वदर्शन या अधिवेशन के लिए 75 रू. प्रतिदिन की दर से परामर्श शुल्क का संदाय किया जाएगा :

परंतु जिस दिन या जिन दिनों के लिए परामर्श शुल्क का संदाय किया गया है उस दिन या उन दिनों के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

44. अपील अधिकरण को की जाने वाली अपीलों के फीस – (1) नीचे उपनियम 2 के अधीन रहते हुए, धारा 6(ग) की उपधारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक अपील की अर्जी के साथ निम्नलिखित सारणी में अधिकथित दर पर फीस संदाय होगी और वह अधिकरण को या तो नकद या प्रास्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जाएगी।

<u>फीस की सारणी</u>

(1) दीर्घ फिल्म – फिल्म की लंबाई और गेज पर घ्यान दिए बिना – 750 रू. ।

(2) लघु फिल्म – फिल्म की लंबाई और गेज पर ध्यान दिए बिना – 100 रू.।

(2) अपील अधिकरण का अपने विवेकानुसार और उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, किसी विशिष्ट मामले में फीास के संदाय का अधित्यजन कर सकेगा।

(3) फिल्म के पूर्वदर्शन से पूर्व अपील वापस ले लिए जाने की दशा में, अपील अधिकरण का अध्यक्ष, उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, अपील के लिए संदत्त फीस की रकम में से 25 प्रतिशत की कटौती करके, शेष रकम का अपीलार्थी को प्रतिदाय कर सकेगा।

(4) पूर्वदर्शन के लिए नियत दिन और समय और स्थान पर, अपीलार्थी द्वारा अपील अधिकरण के समक्ष चलाने योग्य प्रिन्ट प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में, उुपर उपनियम 1 में दी गई सारणी के अधीन अपील पर विचार करने के लिए संदेय फीस का 25 प्रतिशत फिल्म के पूर्वदर्शन के लिए अन्य तारीख और समय नियत किए जाने से पूर्व, अतिरिक्त फीस के रूप में संदत्त किया जाएगा।

(5) यदि गलती से, गलत संगणना या ऐसे ही अन्य कारण से, आवेदक अपील पर विचार किए जाने के लिए इन नियमों के अधीन संदेय फीस की रकम का संदाय कर देता है तो अपील अधिकरण का अध्यक्ष इस निमित्त आवेदन किए जाने पर अपील का विनिश्चय किए जाने के तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, इस प्रकार अधिक संदत्त रकम का आवेदक को प्रतिदाय कर सकेगा।

पहली अनुसूची

नियम (21) देखिए

स्तम्भ 3 में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आयातित या निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए आवेदन, स्तम्भ 2 में वर्णित प्रादेशिक कार्यालय में प्रस्तुत जाएंगे ।

क्रम सं	**स्थान जहां पर प्रादेशिक कार्यालय स्थित है**	**जहां फिल्में आयातित या निर्मित की गई है**
1	बैंगलूर	कर्नाटक राज्य
2	मुंबई	गोवा,गुजरात,मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य तथा दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र।
3	कोलकता	बिहार, पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संध राज्य क्षेत्र
4	कटक	उडीसा राज्य
5	दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मु–कश्मीर, पंजाब,राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र।
6	गोहाटी	अरूणाचल प्रदेश,असम,मणिपुर,मेघालय, नैगालंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
7	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य।
8	मद्रास	तमिलनाडु राज्य और पांडिचरी संघ राज्यक्षेत्र।
9	तिरूवनन्तपुरम	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र।

टिप्पण

1. फिल्म का डब किया गया पाठ, चाहे वह किसी भी भारतीय भाषा में हो, प्रमाणन के लिए उसी प्रादेशिक कार्यालय को ही प्रस्तुत किया जाएगा जहां फिल्म के मूल पाठ का पहली बार प्रमाणन किया गया था।
2. निम्नलिखित दो मानक फिल्म के निर्माण का स्थान परिनिश्चित करेंगेः–

(1) उन निर्माताओं के संगम/परिषद/चेम्बर आदि का अवस्थान जिनके पास संबंद्ध फिल्म का निर्माण प्रारंभ करने से पहले फिल्म का शीर्षक का रजिस्ट्रीकरण किए जाने की दशा में, केवल पूर्वतम रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ही विचार किया जाएगा और

(2) फिल्म का प्रसंस्करण करने वाली कंपनी के मुख्यालय/प्रादेशिक कार्यालय/निर्माण कार्यालय की अवस्थिति ।

दूसरी अनुसूची

प्रारूप I

भारत में निर्मित फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के
प्रमाणन कें लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 21 का उपनियम (1) देखिए)
आवेदन का संख्यांक और तारीख (बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी .....भारत में.....में निर्मित फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन।

1. (क) फिल्म का नाम

(ख) फिल्म की भाषा

(ग) फुटों/मीटरों में फिल्म की लंबाई

(घ) रीलों की संख्या

(ड़) फिल्म का गेज

(च) फिल्म का प्रकार अर्थात क्या वह 2–डी,,3–डी,,सिनेमास्कोप,विस्ताविजन आदि है।

(छ) क्या फिल्म मूक है या बोलने वाली

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम और पता

(ञ) निदेशक का नाम

2. लिखिए कि क्या फिल्म समाचार फिल्म/वृत्त चित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/कथा/ विज्ञापन फिल्म है

(2क) विनिर्दिष्ट कीजिए कि किस प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध किया गया है :

''अनिर्बन्धित'' , ''अनिर्बन्धित वयस्क'', ''वयस्क'' या ''विशिष्ट''

3. फिल्म के नेगटिव और पोज़िटिव प्रिन्टों की संख्या अलग–अलग लिखें:

(क) निर्मित (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

(ख) आवेदक के कब्जे में (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

(ग) प्रसंस्करण प्रयोगशाला का नाम और पता ।

4. (क) क्या विद्यमान फिल्म किसी अन्य फिल्म का डब किया गया पाठ है या इसे पुनःबनाया गया है ? यदि हां, तो उस फिल्म के लिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों के पूरे ब्यौरे सहित विशिष्टियां दीजिए।

(ख) क्या कोई सेंसर पूर्व सलाह अभिप्राप्त की गई थी और यदि की गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(ग) क्या विदेश में किसी शूटिंग के लिए अनुज्ञा ली गई थी, यदि ली गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(घ) क्या फिल्म में, फिल्म की भाषा से भिन्न किसी भाषा में कोई संवाद/टीका है, यदि है तो वह भाषा और वे रीलें विनिर्दिष्ट कीजिए जिनमें वे आते है।

5. क्या इस फिल्म को भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए पहले कोई आवेदन किया गया हो तो,–

(क) वह कहां और किसे किया गया था ?

(ख) आवेदन का क्या परिणाम रहा ? अर्थात्,

(1) ''अनिर्बन्धित''/ ''अनिर्बन्धित वयस्क''/वयस्क/ विशिष्ट प्रमाणपत्र सं.....

तारीख.....इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया था कि निम्नलिखित भाग काट दिए जाए...

(2) प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था।

6. क्या इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी समय निलंबित किया गया था या फिल्म केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई थी?विशिष्टियां लिखें।

7. क्या फिल्म में कोई संवाद,गीत,कविता,भाषण या टीका अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में है ? यदि है तो यह विनिर्दिष्ट करें कि किस रील या किन रीलों में ऐसा संवाद,गीत, कविता, भाषण या टीका आती है और उसमें किस भाषा या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है ?

8. नियम 36 में विहित फीस मदें आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस की रकम।

(1) रसीद सं ..... तारीख .....

(2) बैक ड्राफ्ट सं ..... तारीख ..... बैंक

(3) पोस्टल आर्डर सं .....तारीख..... डाकघर.....

8(क) क्या फिल्म की शूटिंग में किसी पशु का उपयोग किया गया है, यदि हॉ, तो क्या नियम (2) के उपनियम के खंड (खख) में विनिर्दिष्ट घोषणा कर दी गई है ?

9. आवेदक का नाम, पता और यदि कोई टेलीफोन हो तो उसका नं .....

10. मैं घोषणा करता हूँ कि फिल्म का प्रिंट, बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है और ऊपर अभिलिखित कथन हर विशिष्ट में सही है ?

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख .....

प्रारूप Iक

भारत में निर्मित वीड़ियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के
प्रमाणन के लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 21 का उपनियम (1) देखिए)

आवेदन का संख्यांक और तारीख (बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी .....भारत में.....में निर्मित वीड़ियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन।

1. (क) वीड़ियो फिल्म का नाम

(ख) वीड़ियो फिल्म की भाषा

(ग) चालन समय

(घ) कसैटों की संख्या

(ड) वीड़ियो संपरिवर्तन की कोई भी अन्य विशिष्टियां

(च) वीड़ियो फिल्म का प्रकार अर्थात क्या वीड़ियो फिल्म 2–डी,,3–डी,,सिनेमास्कोप, विस्ताविज़न आदि है।

(छ) फिल्म मूक है या बोलने वाली

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम और पता

(ञ) निदेशक का नाम

2. लिखिए कि क्या फिल्म समाचार फिल्म/वृत्त चित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/कथा /विज्ञापन वीड़ियो फिल्म है

(2क) विनिर्दिष्ट कीजिए कि किस प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध किया गया है :
''अनिर्बन्धित'',''अनिर्बन्धित वयस्क'',''वयस्क''या''विशिष्ट''

3. वीड़ियो फिल्म के नेगटिव और पोज़िटिव प्रिन्टों की संख्या अलग–अलग लिखें:

(क) निर्मित (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

(ख) आवेदक के कब्जे में (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

(ग) प्रतियां जहां बनाई गई है उस प्रयोगशाला/कंपनी का नाम और पता ।

4. (क) क्या वीड़ियो फिल्म जिसके लिए आवेदन किया गया है सेलूलॉयड पर किसी चलचित्र फिल्म की प्रतिकृति/यथावत प्रति है जिसके बाबत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पहले ही प्रमाणपत्र प्रदान किया जा चुका है ? प्रमाणित फिल्म की विशिष्टियां बताएं।

(ख) क्या कोई सेंसर पूर्व सलाह अभिप्राप्त की गई थी और यदि की गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(ग) क्या विदेश में किसी शूटिंग के लिए अनुज्ञा ली गई थी, यदि ली गई थी तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(घ) क्या फिल्म में, फिल्म की भाषा से भिन्न किसी भाषा में कोई संवाद/टीका है, यदि है तो वह भाषा और वे रीलें विनिर्दिष्ट कीजिए जिनमें वे आते है।

5. क्या इस फिल्म को भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए पहले कोई आवेदन किया गया हो तो,–

(क) वह कहां और किसे किया गया था ?

(ख) आवेदन का क्या परिणाम रहा ? अर्थात्,

(1) ''अनिर्बन्धित''/ ''अनिर्बन्धित वयस्क''/ ''वयस्क''/''विशिष्ट''प्रमाणपत्र सं.....तारीख..... .....इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया था कि निम्नलिखित भाग काट दिए जाए.....

(2) प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था।

6. क्या इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी समय निलंबित किया गया था या फिल्म केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई थी?विशिष्टियां लिखें।

7. क्या फिल्म में कोई संवाद,गीत,कविता,भाषण या टीका अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में है ? यदि है तो यह विनिर्दिष्ट करें कि किस रील या किन रीलों में ऐसा संवाद,गीत, कविता, भाषण या टीका आती है और उसमें किस भाषा या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है ?

8. नियम 36 में विहित फीस मदें आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस की रकम।

(1) रसीद सं ..... तारीख .....

(2) बैक ड्राफ्ट सं ..... तारीख ..... बैंक

(3) पोस्टल आर्डर सं .....तारीख..... डाकघर.....

(8क) क्या फिल्म की शूटिंग में किसी पशु का उपयोग किया गया है, यदि हॉ, तो क्या नियम 2 के

उपनियम के खंड खख में विनिर्दिष्ट घोषणा कर दी गई है ?

9. आवेदक का नाम, पता और यदि कोई टेलीफोन हो तो उसका नं .....

10. मैं घोषणा करता हूँ कि फिल्म का प्रिंट, बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है और ऊपर अभिलिखित कथन हर विशिष्ट में सही है ?

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख .....

प्ररूप II

भारत में आयात की गई फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के
प्रमाणन के लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 21 का उपनियम (1) देखिए)

आवेदन का संख्यांक और तारीख (बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी मुंबई/कोलकता/मद्रास

प्रथम बार भारत में.....में आयात की गई फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन।

1. (क) फिल्म का नाम

(ख) फिल्म की भाषा

(ग) फुटों/मीटरों में फिल्म की लंबाई/सी.सी.पी और/या आयात अनुज्ञप्ति में यथादर्शित फिल्म की लंबाई/क्या आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से कोई काट–छांट की गई है और यदि की गई है तो उसका ब्यौरा दीजिए।

(घ) रीलों की संख्या

(ड़) फिल्म का गेज

(च)फिल्म का प्रकार अर्थात क्या वह 2–डी,,3–डी,,सिनेमास्कोप,विस्ताविजन आदि है।

(छ) क्या फिल्म मूक है या बोलने वाली

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम और पता

(ज्ञ) निदेशक का नाम

(ट) किस देश में निर्मित की गई

2. लिखिए कि क्या फिल्म समाचार फिल्म/वृत्त चित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/कथा/ विज्ञापन फिल्म है

3. फिल्म के नेगटिव और पोज़िटिव प्रिन्टों की संख्या अलग–अलग लिखें:

(क) आवेदक द्वारा आयात किए गए नेगटिव ..... पोजिटिव.....

(ख) आवेदक के कब्जे में नेगटिव ..... पोजिटिव.....

4. यह फिल्म किस–किस अन्य भाषा/भाषाओं में, यदि कोई हो,निर्मित या डब की गई है ? जहां प्रत्येक भाषा में शीर्षक एक नहीं है वहां प्रत्येक पाठ का, जिसमें फिल्म निर्मित या डब की गई है, शीर्षक लिखें ।

5. क्या इस फिल्म को इसके वर्तमान या किसी अन्य शीर्षक के अधीन

(क) भारत में,

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका में,

(ग) युनाइटेड किंगडम में,

(घ) किसी अन्य देश में, प्रमाणित किए जाने के पहले कोई आवेदन किया गया है ? यदि किया गया था तो –

(1) वह कहां और किसे किया गया था ?

(2) आवेदन का क्या परिणाम रहा ? अर्थात्,

(1) ''अनिर्बन्धित''/ ''अनिर्बन्धित वयस्क''/वयस्क/ विशिष्ट प्रमाणपत्र सं.....तारीख.....

. को इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया था कि निम्नलिखित भाग काट दिए जाए

(2) प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित फिल्म की दशा में –

(क) राष्ट्रीय समूह और ख शिष्टता की मर्यादा के अनुसार उसका श्रेणी निर्धारण

(क)..... (ख) .....

6. क्या इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी समय निलंबित किया गया है या फिल्म केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई है ? विशिष्टियां लिखें ।

7. क्या फिल्म में कोई संवाद,गीत,कविता,भाषण या टीका अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में है ? यदि है तो यह विनिर्दिष्ट करें कि किस रील या किन रीलों में ऐसे संवाद,गीत, कविता, भाषण या टीका आती है और उसमें किस भाषा या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है ?

8. नियम 36 में विहित फीस मदें आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस की रकम।

(1) रसीद सं ..... तारीख .....

(2) बैक ड्राफ्ट सं ..... तारीख .....बैंक

(3) पोस्टल आर्डर सं .....तारीख..... डाकघर.....

9. आवेदक का नाम, पता और यदि कोई टेलीफोन नं, यदि कोई हैं .....

10- (क) फिल्म के आयातकर्ता का नाम, पता औग्र टेलीफोन नं, यदि कोई है .....

(ख) आयात–अनुज्ञप्ति का संख्यांक और तारीख .....

(ग) सीमाशुल्क कार्यालय से निकासी की तारीख .....

11. क्या फिल्म दक्षिणी आफ्रिकी या रोडेशियायी राष्ट्रिको द्वारा या उनके सहयोग से पूर्णतया या भागतः दक्षिणी आफ्रिका या रोडेशिया में निर्मित की गई है या फिल्म दक्षिणी आफ्रिका या रोडेशियायी राष्ट्रिकों के पूर्णतया या भागतः स्वामित्वाधीन है ? यदि है तो ब्यौरा दीजिए ।

(11क) क्या फिल्म की शूटिंग में किसी पशु का उपयोग किया गया है ? यदि हॉ, तो क्या नियम 21) के उपनियम 3 के खंड खख) में विनिर्दिष्ट घोषणा फाईल कर दी गई है ?

12. मैं घोषणा करता हूँ कि फिल्म का प्रिंट, बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है और ऊपर अभिलिखित कथन हर विशिष्टि में सही है ?

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख .....

प्रारूप II क

भारत में आयातित वीडियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के
प्रमाणन कें लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 21 का उपनियम (1) देखिए)

आवेदन का संख्यांक और तारीख (बोर्ड के कार्यालय द्वारा भरा जाए)

सेवा में,

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी .....प्रथम बार भारत में.....में आयात वीड़ियो फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन।

1.(क) वीड़ियो फिल्म का नाम

(ख) वीड़ियो फिल्म की भाषा

(ग) वीडियो फिल्म का चालन समय

सी.सी.पी और/या आयात अनुज्ञप्ति में यथादर्शित वीड़ियो फिल्म का चालन समय/प्रति मीटर चालन समय..... क्या आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से कोई काट–छांट की गई है और यदि की गई है तो उसका ब्यौरा दीजिए

(घ) कसैटों की संख्या

(ड) वीड़ियो संपरिवर्तन की अन्य कोई विशिष्टियां

(च) वीड़ियो फिल्म का प्रकार अर्थात क्या वह 2–डी,,3–डी,,सिनेमास्कोप,विस्ताविजन आदि है।

(छ) क्या फिल्म मूक है या बोलने वाली

(ज) फिल्म का रंग

(झ) निर्माता का नाम और पता

(ञ) निदेशक का नाम

(ट) किस देश में निर्मित की गई है

2. लिखिए कि क्या फिल्म समाचार फिल्म/वृत्त चित्र/वैज्ञानिक/शैक्षिक/कथा /विज्ञापन वीड़ियो फिल्म है

3. वीड़ियो फिल्म के नेगटिव और पोज़िटिव प्रिन्टों की संख्या अलग–अलग लिखिए :–

(क) आवेदक द्वारा आयात किए गए (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

(ख) आवेदक के कब्जे में (नेगटिव ..... पोजिटिव.....)

4. (क) क्या वह वीड़ियो फिल्म जिसके लिए आवेदन किया गया है सेलूलॉयड पर किसी चलचित्र फिल्म की प्रतिकृति/यथावत प्रति है जिसके बाबत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पहले ही प्रमाणपत्र प्रदान किया जा चुका है ? प्रमाणित फिल्म की विशिष्टियां बताएं।

(ख) क्या यह वीड़ियो फिल्म, सेलूलॉयड़ पर किसी प्रमाणित चलचित्र फिल्म का उपांतरित पाठ है जिसमें परिवर्धन, विलोप, अन्य परिवर्तन है। उपान्तणों के ब्यौरे दिए जाए

(ग) क्या किसी मूल वीडियो फिल्म की बाबत आवेदन किया जा रहा है और न कि सेलूलॉयड पर किसी पहले से प्रमाणित चलचित्र फिल्म की प्रति की बाबत।

(घ) यह फिल्म किस किस अन्य भाषा/भाषाओं में, यदि कोई हो, निर्मित या डब की गई है ? जहां प्रत्येक भाषा में शीर्षक एक नहीं है वहां प्रत्येक पाठ को, जिस में फिल्म निर्मित या डब की गई है, शीर्षक लिखें।

5. क्या इस वीडियो फिल्म/फिल्म को इसके वर्तमान या किसी अन्य शीर्षक के अधीन कोई आवेदन किया गया हो तो,–

(क) वह कहां और किसे किया गया था ?

(ख) आवेदन का क्या परिणाम रहा ? अर्थात्,

(1) ''अनिर्बन्धित''/ ''अनिर्बन्धित वयस्क''/ ''वयस्क''/''विशिष्ट''प्रमाणपत्र सं.....तारीख..... .....इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया था कि निम्नलिखित भाग काट दिए जाए.....

(2) प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था।

6. क्या इस फिल्म का प्रदर्शन किसी भी समय निलंबित किया गया था या फिल्म केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा अप्रमाणित घोषित की गई थी?विशिष्टियां लिखें

7. क्या फिल्म में कोई संवाद,गीत,कविता,भाषण या टीका अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में है ? यदि है तो यह विनिर्दिष्ट करें कि किस रील या किन रीलों में ऐसा संवाद,गीत, कविता, भाषण या टीका आती है और उसमें किस भाषा या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है ?

8. नियम 36 में विहित फीस मदें आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस की रकम।

(1) रसीद सं ..... तारीख .....

(2) बैक ड्राफ्ट सं ..... तारीख ..... बैंक

(3) पोस्टल आर्डर सं .....तारीख..... डाकघर.....

(8क) क्या फिल्म की शूटिंग में किसी पशु का उपयोग किया गया है, यदि हॉ, तो क्या नियम 2 के उपनियम के खंड (खख) में विनिर्दिष्ट घोषणा कर दी गई है ?

9. आवेदक का नाम, पता और यदि कोई टेलीफोन हो तो उसका नं .....

10. मैं घोषणा करता हूँ कि फिल्म का प्रिंट, बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिए तैयार है और उपर अभिलिखित कथन हर विशिष्ट में सही है ?

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख .....

प्रारूप III

(नियम 33 देखिए)

दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए

प्रमाणित फिल्म में किसी परिवर्तन या परिवर्तनों की बाबत

चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के नियम 33 के अधीन रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम

2. फिल्म का नाम

3. प्रमाणपत्र सं तारीख

परिवर्तनों की विशिष्टियां :

रील संख्या .....दृश्य सं ..... दृश्य/संवाद/गीत की लंबाई का वर्णन..

वीड़ियो फिल्म की दशा में रील की लंबाई और संख्या के बजाय मिनट में अवधि और कैसेटों की संख्या दी जाए।

जिस रील/रीलों के परिवर्तन, लंबाई तथा संख्या ठीक–ठीक विनिर्दिष्ट करें।

सेवा में,

अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

मार्फत प्रादेशिक अधिकारी, मुंबई/कलकत्ता/मद्रास

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर की सभी विशिष्टियां हर प्रकार से सही है और फिल्म के प्रमाणन के पश्चात् उसमें किए गए परिवर्तन या परिवर्तनों का यह पूर्ण वर्णन है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

पता

प्रारूप IV
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटर में प्रदर्शित करने बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी

फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

Chairman

भाग – II
कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां

प्रारूप IV-क
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी वी/**अ** अनिर्बन्धित वीडियो
फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II
कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां

प्रारूप V
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटर में प्रदर्शित करने बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी **व** केवल वयस्कों के लिए

फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म केवल वयस्कों के लिये निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त है

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II
कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां

प्रारूप V-क
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी वी/**व** केवल वयस्क वीडियो

फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म केवल वयस्कों के लिये निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त है

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम

निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II

कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां :

प्रारूप VI
नियम 35 (1) देखिए
भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटर में प्रदर्शित करने बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी **अ/व** अभिभावक मार्गदर्शन
फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म इस चेतावनी के पृष्ठांकन के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फिल्म देखने की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक के माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II

कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां :

प्रारूप VI-क
नियम 35 (1) देखिए
भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी **वी/अव** अभिभावक मार्गदर्शन वीडियो

फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन फिल्म इस चेतावनी के पृष्ठांकन के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है कि 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फिल्म देखने की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक के माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
:

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।
आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II
कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां :

प्रारूप –VII
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल थिएटर में प्रदर्शित करने बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी **एस** दर्शक विशेषज्ञ

फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन रहते हुए किसी व्यवसाय के सदस्यों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।

आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II

कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां:

प्रारूप –VII-क
नियम 35 (1) देखिए

भारत सरकार
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के बाबत विधिमान्य है

भाग – 1

प्रमाणपत्र सं0 तारीख श्रेणी **वी/एस** दर्शक विशेषज्ञ वीडियो
फिल्म माप मि.मि
लंबाई मीटर रील

निम्नलिखित परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा परीक्षण के पश्चात तथा उक्त परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति/फिल्म प्रमाणन अपील अधिकरण की सिफारिशों पर बोर्ड एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पीछे संलग्न भाग –2 में उपदर्शित कांट–छांट और उपान्तरों के अधीन रहते हुए किसी व्यवसाय के सदस्यों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।

1.
2.
3.
4.
5.

यह और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट–छांट और उपान्तरों को वास्तव में कार्यान्वित किया गया है।
आवेदक का नाम
निर्माता का नाम

अध्यक्ष

भाग – II
कांट–छांट और उपान्तरों की विशिष्टियां

प्रारूप 8

नियम 22 (9) और 24 (9) देखिए

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

परीक्षण/पुनरीक्षण समिति के सदस्यों की रिपोर्ट का प्ररूप

ध्यान दीजिए :–

1. कृपया फिल्म के पूर्वदर्शन से पूर्व सरकार द्वारा किए गए मार्गदर्शन सिद्धान्तों का एक बार पुनः अध्ययन कीजिए
2. कृपया याद रखिए कि फिल्म सेंसर का उद्देश्य यह है कि फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील रहे, कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रोक न रहे और सेंसर सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिक्रियात्मक रहे।

तारीख

भाग क

मैं ..... स्पष्ट अक्षरों में तारीख ..... की परीक्षण समिति/पुनरीक्षण समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहा और मैं अपनी राय निम्नलिखित भाग ख, भाग ग और भाग घ में अभिलिखित करता हूँ।

फिल्म का शीर्षक

भाषा

फिल्म की लंबाई मीटर

रील गेज

काली और सफेद/ रंगीन

भाग ख

1. क्या आप प्रमाणपत्र देने की सिफारिश करते है ? हां/नही

यदि हां, तो कृपया बताइए कि आप निम्नलिखित की सिफारिश करते है:–

(i) कि फिल्म की अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी जाए अर्थात अनिर्बन्धित प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या हां/नही

(ii) कि फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी जाए किन्तु इस चेतावनी के साथ कि 12 वर्ष से कम आयु के बालक को यह फिल्म

देखने के लिए अनुज्ञात किया जाए या नहीं, इस प्रश्न पर उस बालक के माता–पिता या संरक्षक द्वारा विचार किया जाना चाहिए अर्थात अनिर्बन्धित वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या हां/नहीं

(iii) कि फिल्म को वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी जाए, अर्थात वयस्क प्रमाणपत्र के लिए ठीक है या हां/नहीं

(iv)कि फिल्म को किसी वृत्ति के सदस्यों या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दी जाए अर्थात् विशिष्ट प्रमाणपत्र के लिए ठीक है : हां/नहीं ।

2. यदि उपर्युक्त 11, 12,13,14 का उत्तर हां में है तो क्या आपके विचार में कोई कांट–छाट या उपान्तर करने के लिए आवेदक को निदेश दिया जाना चाहिए ? यदि हां, तो कृपया की जाने वाली कांट–छाट या उपान्तरों को भाग–ग में दिए गए प्ररूप में विनिर्दिष्ट कीजिए । हां/नहीं

3. यदि आपके विचार में फिल्म को अनिर्बन्धित वयस्क या वयस्क या विशिष्ट प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए तो कृपया नीचे दिए गए स्थान में विस्तृत कारण लिखें।

4. यदि आपके विचार में फिल्म को विशिष्ट प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए तो कृपया नीचे दिए गए स्थान में व्यक्तियों का वह वर्ग या समूह विनिर्दिष्ट कीजिए जिनमें वे विशिष्ट दर्शक गठित हों ।

5. यदि आप प्रमाणपत्र देने की सिफारिश करते है तो–

क. क्या आपका समाधान हो गया है कि फिल्म में –

1. हिंसा जैसे समाजविरोधी कियाकलाप का दीप्तिमान या न्यायोचित नहीं ठहराया गया है?
2. अपराधियों की कार्यप्रणाली या अन्य ऐसे दृश्य या शब्द जिनसे किसी अपराध का किया जाना उद्दीप्त होता है, दर्शित नहीं किए गए है ?
3. हिंसा,क्रूरता और भयोत्पादक जैसे दृश्य जो अर्थहीन या परिहार्य है, नहीं दिखाए गए है ?

3क. ऐसे दृश्य नहीं दिखाए गए है जिनसे मद्यपान को न्यायोचित ठहराया या दीप्तिमान किया गया है ?

4 अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं का उल्लंघननहीं किया गया है ?

4क. ऐसे दुश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए गए है जिनसे स्त्रियों को मनुष्य के प्रति हीन दासता में चित्रित किया गया है या ऐसी दासता को स्त्रियों के प्रशंसनीय गुण के रूप में उत्कृष्ठ ठहराया गया है ? ऐसे दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए गए है जो जातीय,धार्मिक या अन्य समूहों के प्रति अवमानपूर्ण है ?

5. भारत की प्रभुता और अखंडता को प्रश्नगत नहीं किया गया है ?
6. राज्य की सुरक्षा का जोखिम या खतरे में नहीं डाला गया है ?

7. विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों पर विपरीत असर नहीं पडता है ?

8. लोक व्यवस्था की खतरा नहीं होता है ?

9. ऐसे दृश्य या शब्द प्रस्तुत नहीं किए गए है जिनमें न्यायालय का अवमान या मानहानी अन्तर्वतित है

ख. क्या फिल्म का

(1) मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है और

(2) परीक्षण उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

प्रारूप – 9
नियम 26 देखिए

..... नियम के आवेदन के संबंध में /हम .....

. यह घोषणा करता/करती हूँ कि ..... फिल्म के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन में प्रस्तुत अपत्तिजनक दृश्यों को फिल्म से निकाला गया और मूल प्रति के नेगटिव चित्र और आवाज़, इन्टर नेगटिव,इन्टर पोज़िटिव और सभी पोज़िटिव प्रिन्टों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को अभ्यर्पण किया जाता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः

पताः

स्थानः

दिनांकः

टिप्पणी :– प्रादेशिक अधिकारी की मांगने पर आवेदक को बोर्ड द्वारा निदेर्शित फार्म में लैब के मालिक या मैनेजर से उनके लैब में तैयार किए गए फिल्म के पोज़िटिव और नेगटिव प्रतियों की संख्या से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि फिल्म क

2. सभी कांटछांटों को बोर्ड द्वारा निदर्शित अनुसार रील संख्या में हो तथा दो काटछांट के बीच सफेद कागज़ रखें। प्रत्येक काट–छाट की लंबाई मीटरों में प्रस्तुत करें। बोर्ड के निर्देशानुसार यदि एक दृश्य को काटना है तो निर्माता ने काटे गए लंबाई तथा प्रतिस्थापित लंबाई को अलग से उल्लेख करें।

प्रारूप –10

नियम 28 (7)देखिए

लिपि/टीका/टेप रिकॉर्ड फिल्म की प्रति

यह प्रमाणित किया जाता है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 के नियम 28 के अधीन प्रस्तुत की गई उपर्युक्त फिल्म/टीका/टीका के टेप रिकॉर्ड वाली फिल्म/लिपि की प्रति यथास्थिति उस फिल्म या उसके लिपि या टीका की बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित रूप में पूर्ण कथोपकथन,गीत,ध्वनि–प्रभावों और चित्रण सहित प्रति है। फिल्म की प्रति रील सही लंबाई जैसा कि वास्तव में माप की गई है और प्रमाणित की गई है।

रील संख्या	मीटरों में लंबाई
1.	
2.	
3.	
योग	कुल मीटरों में

ध्यान दीजिएः इसके अन्तर्गत अन्तराल और अंत भागों की लंबाई भी है।

आवेदक का हस्ताक्षर